राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामचन्द्र | सरकार

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/3/20	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति हेतु प्रस्तुत हुई। उभयपकक्षो की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता रेस्पो. ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में निवेदन किया की अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील भू-राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है जिसका की क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के पास निहित है एवं अपील का अपीलाधीन आदेश भी अपीलेबल न होकर रिविजन योग्य आदेश है जिसकी मात्र रिविजन की जा सकती है एवं उक्त अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील किसी भी रूप में संधारणीय नही है अत: अपील ख़ारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी/अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील को सही रूप से प्रस्तुत किये जाने का कथन करते हुये प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने की ईस्तदुआ की। हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण स्थगन के सम्बन्ध में निर्णय पारित किया है जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जो स्पष्ट रूप से इस न्यायालय के समक्ष संधारणीय नही है अत: अपील अपीलार्थी संधारणीय नही होने से ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते